भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 226

सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक)

ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी सुविधा

226. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित कर्मकारों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी सुविधा शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत से लेकर अब तक असंगठित क्षेत्र के कामगारों द्वारा कुल कितने पंजीकरण किए गए हैं और पिछले एक वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसतन कितने पंजीकरण किए गए;

(ग) वर्तमान में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से सुविधा प्रदान की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार के साथ जुड़ा असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने हेतु दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) आरंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनकी सहायता करना है।

जारी..2/-

दिनांक 28 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार 30.58 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया है। पिछले वर्ष के दौरान, अर्थात, दिनांक 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक प्रति दिन 33.7 हजार पंजीकरण के औसत के साथ ई-श्रम पोर्टल में 1.23 करोड़ से अधिक पंजीकरण रिकार्ड किए गए थे।

ई-श्रम असंगठित कामगारों को अपनी निम्नलिखित विशेषताओं के माध्यम से कल्याणकारी कवरेज प्रदान करने में सहायता करता है:

(i) ई-श्रम को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। कोई असंगठित कामगार अपने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर का प्रयोग करके एनसीएस पर पंजीकरण कर समुचित रोजगार ढूंढ सकता है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरणकर्ताओं के लिए एक विकल्प/लिंक भी उपलब्ध कराया गया है जिससे वे एनसीएस पर बिना किसी रुकावट के पंजीकरण कर सकते हैं।

(ii) ई-श्रम को प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) के साथ एकीकृत किया गया है। पीएम-एसवाईएम 18-40 वर्ष के आयु-वर्ग के असंगठित कामगारों के लिए एक पेंशन योजना है। यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3000/- रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करता है। यूएएन का उपयोग करके कोई भी असंगठित कामगार पीएम-एसवाईएम के तहत आसानी से पंजीकरण करा सकता है। इस योजना में 50 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है और शेष कामगार द्वारा अंशदान किया जाता है।

(iii) ई-श्रम में प्रवासी कामगारों के परिवार का ब्यौरा कैप्चर करने का प्रावधान जोड़ा गया है।

(iv) ई-श्रम में सन्निर्माण कामगारों का डेटा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा करने के लिए प्रावधान जोड़ा गया है ताकि संबंधित भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) बोर्डों में उनके पंजीकरण को सुविधाजनक बनाया जा सके।

(v) असंगठित कामगारों को कौशल संवर्धन और प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कौशल भारत डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

(vi) ई-श्रम को माईस्कीम पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। माईस्कीम एक राष्ट्रीय मंच है जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की एक ही बार खोज-बीन की सुविधा प्रदान करना है। यह नागरिक की पात्रता के आधार पर योजना के विषय में जानकारी खोजने के लिए एक नवोन्मेषी, प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रदान करता है।

जारी..3/-

हाल ही में हुई बजट घोषणा के विज़न के अनुसार, असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए ईश्रम को एक वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम - "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" लॉन्च किया। ई-श्रम - "वन-स्टॉप-समाधान" विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत करता है। यह असंगठित कामगारों को ई-श्रम पर पंजीकृत होने के कारण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने और अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

अब तक, 12 विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं को ईश्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिसमें प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), पीएम आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू), पीएम आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) शामिल हैं।

ई-श्रम पोर्टल तक पहुंच बढ़ाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 7 जनवरी 2025 को ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यात्मकता लॉन्च की, जो भाषिणी प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। यह संवर्धन अब कामगारों को ईश्रम पोर्टल के साथ 22 भारतीय भाषाओं में बातचीत करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे पहुंच में सुधार होता है और सभी के लिए समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।

******